(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर,2008

अधिसूचना

सा.का.नि. 768 (अ). - केन्द्रीय सरकार लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 16) की धारा 7 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं - इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) "दावों" से इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली दुर्घटना से उद्भूत राहत के लिए दावे अभिप्रेत हैं ;

(ग) "दावेदार" से अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1)में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, स्वामी या अभिकर्ता अभिप्रेत हैं ;

(घ) "प्ररुप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है ;

(ड.) "निधि प्रबंधक" से पैरा 4 में यथाउपदर्शित पर्यावरण राहत निधि का प्रबंध करने के लिए चयनित संगठन अभिप्रेत है ;

(च) "नियम" से लोक दायित्व बीमा नियम, 1992 अभिप्रेत है ;

(छ) इस स्कीम में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जिन्हें पारिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन परिभाषित है, के अर्थ वही हैं, जो कि अधिनियम और नियमों में हैं ।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत निधि की स्थापना - (1) नियत दिन से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्कीम के प्रयोजनार्थ पर्यावरण राहत निधि के नाम से ज्ञात एक निधि की स्थापना की जाएगी ।

(2) राहत निधि का प्रबंध और प्रशासन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

(3) निधि प्रबंधक द्वारा राहत निधि के प्रशासन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक या अधिक खाते खोले जाएंगे ।

(4) राहत निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी -

(i) स्वामी द्वारा ली गई बीमा पालिसी के प्रीमियम के बराबर रकम और अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2(ग) में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशि सहित विनिधान से आय ;

(ii) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का 27) की धारा 22 की उप धारा (1) के अधीन हुई पर्यावरण क्षति के लिए स्वामी द्वारा प्रतिकर के रुप में जमा कराया गया धन ।

4. निधि प्रबंधक - (1) इस योजना के अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निधि प्रबंधक होगी ।

(2) पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, निधि प्रबंधक के रुप में न रहने वाला कोई संगठन, किसी अन्य संगठन सहित पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

5. राहत निधि का प्रचालन - (1) इस योजना के प्रकाशन की तारीख से निधि प्रबंधक द्वारा राहत निधि के प्रचालन के लिए "युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - एन्वायरमेंट रिलीफ फंड अकाउंट" के नाम और अभिनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक खाता खोला जाएगा और उसका प्रचालन किया जाएगा।

(2) खाता के प्रचालन में आने की तारीख से या निधि प्रबंधक द्वारा संसूचित किसी ऐसी तारीख से, पंद्रह दिनों की अवधि, जो स्कीम की अधिसूचना की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगी, विभिन्न बीमा कंपनियों की अभिरक्षा में विद्यमान निधि राहत निधि खाता में अंतरित कर दी जाएगी ।

परन्तुक कि सावधि निक्षेप के रुप में पड़ी निधि को परिपक्वता अवधि से पूर्व आहरित करके संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा राहत निधि के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा ।

(3) सभी बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाली निधि आर टी जी एस द्वारा राहत कोष खाते में अंतरित की जाएंगी और निधि के इस प्रकार अंतरण करने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा ।

(4) स्वामी द्वारा राहत निधि में की जाने वाली सभी अदायगियां वार्षिक प्रीमियम चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा की जाएंगी और बीमाकर्ता द्वारा इस निधि को प्रत्येक मास की 30 तारीख तक राहत निधि खाते में जमा किया जाएगा ।

(5) राहत निधि में अभिदाय करने वाले सभी स्वामियों द्वारा बीमाकर्ता को किए गए संदाय के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे संदाय के संबंध में प्ररुप -3 में निधि प्रबंधक और कलक्टर को सूचित किया जाएगा ।

(6) स्वामी या बीमाकर्ता द्वारा संदाय में विलंब की दशा में यथास्थिति स्वामियों या बीमाकर्ताओं पर 18 % वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा ।

(7) समग्र निधि में वार्षिक रुप से जमा राशि का 1% या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित धनराशि सेवा शुल्क के रुप में राहत निधि प्रबंधक को संदाय की जाएगी और इसका भुगतान समग्र निधि से ही किया जाएगा ।

(8) राहत निधि से भुगतान करने के लिए निधि प्रबंधक का दायित्व समग्र निधि में उपलब्ध शेष राशि तक ही सीमित होगा ।

(9) निधि प्रबंधक द्वारा दावों का परिनिर्धारण कलक्टर द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश के अनुसार किया जाएगा ।

6. राहत निधि के अधीन प्राप्त रकम का विनिधान - (1) राहत निधि के अधीन प्राप्त रकम का विनिधान निधि प्रबंधक द्वारा इस रीति से किया जाएगा कि उक्त राहत निधि से दी गई राहत की राशि पंद्रह दिन के भीतर कलक्टर को उपलब्ध हो जाए ।

(2) राहत निधि खाता में जमा रकम को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, राहत निधि खाते में न्यूनतम सहमत बकाया राशि रखकर अधिमानत: राष्ट्रीयकृत

बैंकों की सावधि जमा राशियों में तत्काल विनिधान किया जाएगा और बैंककारों को यह स्थायी अनुदेश दिए जाएंगे कि वे न्यूनतम बकाया से ऊपर की धनराशि को सावधि निक्षेप में संपरिवर्तित कर दें ।

(3) सावधि निक्षेप के विभिन्न बैंककारों के बीच विभाजन की रीति, अधिकतम और न्यूनतम सीमा तथा ऐसी सावधि निक्षेप की अवधि के बारे में निधि प्रबंधक विनिश्चय करेगा ।

(4) राहत निधि पर प्राप्त होने वाला ब्याज त्रैमासिक आधार पर संचित किया जाएगा और पुन: विनिधान किया जाएगा । सावधि निक्षेप की संपूर्ण परिपक्व धनराशि का भी पुनर्विनिधान किया जाएगा ।

(5) निधि प्रबंधक बोर्ड सावधि निक्षेप के विनिधान तथा उसकी मॉनिटरिंग संबंधी नीति अनुमोदित करेगा ।

(6) निधि प्रबंधक केन्द्रीय सरकार को निधि का प्रबंध संबंधी वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(7) राहत निधि में जमा धनराशि के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर की वसूली, स्थायी खाता संख्या की स्थिति तथा कर निर्धारण की दृष्टि से कोष की विधिक स्थिति का विनिश्चय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा और यह निधि प्रबंधक के लिए आबद्धकर होगा ।

7. राहत राशि का संवितरण - (1) राहत के लिए आवेदन कलक्टर को प्ररुप-1 में किया जाएगा तथा कलक्टर द्वारा राहत की राशि की मंजूरी दावेदार को प्ररुप-2 में दी जाएगी ।

(2) दावे का भुगतान सभी प्रभावित व्यक्तियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर या कलक्टर द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

(3) बीमा कंपनी या निधि प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिनिर्णीत राशि मांग की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या कलक्टर के निदेशानुसार कलक्टर के पास जमा हो जाए ।

(4) दावे की राशि के बीमा दायित्व और राहत निधि राशि से अधिक होने की दशा में कलक्टर द्वारा बकाया राहत राशि की मांग भू-राजस्व बकाया या लोक मांग के रुप में स्वामी से की जाएगी ।

(5) अधिनिर्णीत राशि के अधिभोगी की बीमा पालिसी के अंतर्गत देय राशि से अधिक या बीमा कंपनी के दायित्व से अधिक होने की दशा में कलक्टर आकलित राशि का निधि से भुगतान करने के लिए निधि प्रबंधक को आदेश करेंगे ।

(6) पालिसी से अधिक मांग की गई धनराशि का अंतरण निधि प्रबंधक द्वारा कलक्टर को पंद्रह दिन अथवा कलक्टर द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के भीतर कर दिया जाएगा । स्वामी को राहत निधि से दी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कलक्टर को छः मास की अवधि के भीतर करनी होगी, जो आगे इस राशि को राहत निधि में जमा कराएंगे और कलक्टर, स्वामी से इस धनराशि के ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया अथवा लोक मांग के रुप में वसूली करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) कलक्टर द्वारा इस राशि का संवितरण दावाकर्ताओं को प्ररुप - 4 में उनसे रसीद लेने के पश्चात किया जाएगा ।

(8) कलक्टर द्वारा राहत निधि के अंतर्गत राहत राशि के संवितरण से संबंधित लेखा निधि प्रबंधक को पैंतालिस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(9) कलक्टर निधि प्रबंधक से राशि प्राप्त करते ही इसे दावाकर्ताओं को संवितरित करेगा और किसी भी दशा में राशि के प्राप्त होने से पंद्रह दिन के अपश्यात।

(10) दायित्व राशि के कुल आस्तियों से अधिक होने या स्वामी के दिवालिया घोषित होने की दशा में मामले को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो दायित्व तथा स्वामी से वसूल की जाने वाली राशि के बारे में विनिश्चय करेगा ।

(11) राहत निधि के अंतर्गत राशि को अनन्य रुप से योजना के अंतर्गत स्वीकार्य दावों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

8. लेखा और लेखा परीक्षा - (1) निधि प्रबंधक द्वारा उपयुक्त लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखा जाएगा और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में

वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक राहत निधि में जमा कराने के लिए वसूल की गई राशि का विवरण दिया जाएगा ।

(2) सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में लेखा विवरण का समेकन और विनिधान तथा प्राप्तियों से संबंधित विवरण निधि प्रबंधक द्वारा रखा जाएगा ।

(3) राहत निधि के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के परामर्श से निधि प्रबंधक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी ।

(4) निधि प्रबंधक लेखा और विनिधान के ब्यौरे का एक समेकित विवरण तैयार करेगा और उसे उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पास अग्रेषित करेगा ।

9. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रवर्तन से दावाकर्ताओं को असम्यक कठिनाई हो रही है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा उपबंध की उस अपेक्षा से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत रीति में छूट दे सकेगी।

(जी. के. पाण्डेय)

जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम : सलाहकार

(फा. सं.18-3/91-एच एस एम डी)

प्ररुप -1

(लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1992 की धारा-7 क के अधीन)

मैं/हम..मृतक/घायल ------------ के विधिक प्रतिनिधि के रुप में इसके द्वारा यह वचन देता /देती हूं/देते हैं कि यदि मुझे/हमें अन्य उपबंधों के अधीन मृतक या घोर उपहति ------------ के प्रतिकर के रुप कोई अन्य प्रतिकर या उसके बदले में धनराशि या मृतक या घोर उपहति ----------------- के दावों के समाधान के रुप में प्रतिकर या रकम अधिनिर्णीत की जाती है, तो मैं/हम दावा निपटारा अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत राहत की रकम स्वामी को वापस लौटा दूंगा/दूंगी/देंगे ।

मृतक/घायल व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररुप -2

क्रम संख्या :

कलक्टर :

तारीख :

आदेश

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------- की तारीख -------------को ------------------(इकाई का नाम और स्थान) में हुई रासायनिक दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु/घायल होने के संबंध में अंतरिम राहत के रुप में मृतक के विधिक प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------------------या --------------------- (घायल का नाम) को रु0----------(रुपए---------------) मंजूर करता हूं/ करती हूं।

कलक्टर के हस्ताक्षर

प्रति :

1. **निधि प्रबंधक**
2. **बीमा कंपनी का कार्यालय**
3. **दावेदार**
4. **कलक्टर कार्यालय फाइल**
5. **संबंधित स्वामी**

प्ररुप -3

लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अधीन पर्यावरण राहत निधि योजना

1. नियंत्रण संख्या : (निधि प्रबंधक द्वारा आबंटित किया जाएगा)

2. बीमाकर्ता स्वामी का नाम :

3. कारबार :

4. पता :

5. क्षेत्रीय सीमाएं:

6. स्वामी द्वारा हैंडल किए जाने वाले परिसंकटमय पदार्थों का नाम और मात्रा:

7. कलक्टर का पता, जिसकी क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत परिसंकटमय पदार्थ हैंडल करने वाली इकाई है :

8. वार्षिक आवर्त्त :

9. अधिनियम की धारा 4 (2 क) में यथा परिभाषित (पालिसी की तारीख को) समादत्त पूंजी :

10. बीमा अवधि :

11. क्षतिपूर्ति सीमा :

12. प्रीमियम :

13. पर्यावरण राहत निधि में अभिदाय :

14. प्रस्ताव और घोषणा की तारीख :

15. पालिसी जारी करने वाले कार्यालय का पता जहां भुगतान किया गया है :

16. बीमाकर्ता को किए गए भुगतान की तारीख और विवरण :

तारीख : कृते --------(स्वामी)

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

टिप्पण : स्वामी द्वारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित प्ररुप की एक प्रति जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रत्येक को प्रत्यक्षत: भेजी जाएगी और दो प्रतियां बीमाकर्ता को भेजी जाएंगी । बीमाकर्ता पर्यावरण राहत निधि के अभिदाय सहित सम्यक रुप से हस्ताक्षरित एक प्रति निधि प्रबंधक को भेजेगा ।

प्ररुप- 4

मंजूरी आदेश संख्या......

तारीख......................

उन्मोचन रसीद

मेरे साथ / मृतक व्यक्ति के साथ........................(मृतक का नाम) तारीख.................... को ....(स्थान का नाम) पर हुई दुर्घटना के लिए में आंशिक/पूर्ण परिनिर्धारण के संबंध में लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अधीन........................इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से ....रुपए की राशि सधन्यवाद प्राप्त की । मुझे यह राशि................................(कलक्टर कार्यालय का नाम) से चेक/चालान संख्या..............................तारीख .... द्वारा प्राप्त हुई ।

हिताधिकारी/आहत द्वारा राजस्व टिकट पर हस्ताक्षर